Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding the issue related to 1984 sikh riot accussed.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों में जो सजा का फैसला दिया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन दुख का विषय है कि 1984 के सिख दंगों के एक आरोपी आज मध्य प्रदेश में शपथ लेने की तैयारी में हैं।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को भी सजा दी जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12 14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14 00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

At this stage Shrimati V. Sathyabama, Shri R. Dhruvanarayana and some other hon'ble Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)